न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 927–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–16 पारित द्वारा तहसीलदार, खातेगांव जिला देवास प्रकरण कमांक 04/अ–13/2014–15.

1– रम्भू पिता फुंदीलाल
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास

2– हीरालाल पिता फुंदीलाल
निवासी ग्राम राजौर
तहसील खातेगांव जिला देवास

3– रेवाराम पिता फुंदीलाल
निवासी ग्राम राजौर
तहसील खातेगांव जिला देवास

4– श्रीमती गीताबाई पति हरिसिंह पिता फुंदीलाल
निवासी ग्राम सगौदा
तहसील हण्डिया जिला हरदा

5– जगदीश पिता रम्भू
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामपुरी पिता धन्नुपुरी
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास

2– रतनपुरी पिता धन्नुपूरी
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास

3– श्रीमती ताराबाई पति रमपुरी
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास

4– नारायणपुरी पिता धन्नुपुरी
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २८/१/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, खातेगांव जिला देवास के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियों पर आने–जाने हेतु परम्परागत रास्ता, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था, के खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, साथ ही संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–12/2014–15 दर्ज कर दिनांक 21–9–15 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, देवास के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 04/स्व. निगरानी/2012–13 दर्ज कर दिनांक 27–1–16 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे प्रकरण प्राप्त होने के 15 दिवस की समयावधि में उभय पक्ष को स्थल निरीक्षण की तिथि अवगत कराते हुए पुनः पंचों के समक्ष स्थल निरीक्षण विधि अनुसार करते हुए पुनः संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र का निराकरण करें । कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 4–3–16 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि स्थल निरीक्षण में मौके पर दो रास्ते पाये गये हैं, जबकि स्थल निरीक्षण टीप में एक ही रास्ता दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के खेत में से नया रास्ता दिया जा रहा है, जो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अनावेदकगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । उक्त आशय की आपत्ति आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिस

पर तहसील न्यायालय द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर एक ही रास्ता उपलब्ध है, और इसीलिए स्थल निरीक्षण टीप में एक ही रास्ते का उल्लेख किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण प्रश्नाधीन रास्ते को अपने खेत में मिलाना चाहते हैं, इसलिए वे जानबूझकर रास्ता अवरूद्ध कर रहे हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है, और कलेक्टर द्वारा भी जांच में एक ही रास्ता पाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश का कियान्वयन होकर रास्ता खोल दिया गया है, और प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए आवेदकगण को तहसील न्यायालय में सुनवाई का अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अन्यायपूर्ण कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाया गया है और प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहॉ आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को निर्देशित किया जाये कि वे प्रकरण में 2 माह में अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–16 स्थिर रखा जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का अंतिम निराकरण दो माह में करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर